अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 37 - INDIRECT TAXES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	36305,58,00				
				36305,59,00	33080,45,68	-3225,13,32
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3153,06,10
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2205,00,00				
				2207,68,00	1577,32,47	-630,35,53
पूरक	Supplementary	2,68,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					527,87,78

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2037”	Major Head “2037”				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	3026770.00			
पू.	S.	1.00	2721856.17	2718647.07	-3209.10
पु.	R.	-304914.83			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2042"	Major Head "2042"				
केंद्रीय माल और सेवा कर और एकीकृत माल और सेवा कर के अंतर्गत शुल्क संग्रह	Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated Goods and Services Tax				
मू.	O.	601888.00	592106.73	588278.83	-3827.90
पु.	R.	-9781.27			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	1900.00	1290.00	1119.78	-170.22
पु.	R.	-610.00			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹6707.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹6280.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध था:–

(I) Provision of ₹6707.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹6280.00 lakhs accounted for under Major Head "2037" under the following heads:-

(का) "आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – सीमा शुल्क कल्याण निधि में अंतरण" – ₹1000.00 लाख – निधि को अंतरण के लिए अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण।

(A) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to Customs Welfare Fund" - ₹1000.00 lakhs - due to non-approval of transfer to the fund.

(खा) "अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट – राज्य लेवी योजना संबंधी छूट के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना" – ₹5280.00 लाख केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड से विदेश व्यापार महानिदेशालय के सर्वर को शिपिंग बिलों पारेषण में विलंब हो जाने के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यातकों द्वारा दावे दायर नहीं कर पाने के कारण।

(B) "Rebate under Other Schemes - Issue of Scrips under Rebate on State Levies Scheme" - ₹5280.00 lakhs - due to non-filing of claims by exporters within prescribed deadline due to delay in transmission of shipping bills from Central Board of Indirect Taxes to Directorate General of Foreign Trade server.

(II) मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(II) Under Major Head "2037" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राजस्व सह आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन" – ₹1493.21 लाख की बचत (₹77982.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत, डिजिटल उपकरणों की खरीद करने, व्यावसायिक सेवाओं, नैमित्तिक श्रमिकों की हवलदार के रूप में पदोन्नति हो जाने के कारण मजदूरी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs-Major Ports" - saving of ₹1493.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹77982.90 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards leave travel concession, purchase of digital equipment, professional services, wages owing to promotion of casual labours to Hawaldars, less conduction of training programmes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "निवारक और अन्य कार्य – संभारतंत्र निदेशालय" – ₹6699.59 लाख की बचत (₹11152.95 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवसायी सेवाओं, किराया, मरम्मत और रखरखाव और अन्य राजस्व संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और विक्रेताओं द्वारा बीजकों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुई।

(B) "Preventive and Other functions - Directorate of Logistics" - saving of ₹6699.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11152.95 lakhs) was due to requirement of less funds towards professional services, rent, repair and maintenance and other revenue expenditure and non-submission of invoices by the vendor.

(गा) "निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्कों और करों में छूट (आर. ओ. डी. टी. ई. पी.) – आयात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹5053.94 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1506935.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) - Issue of Scrips under Remission Duties and Taxes on Exported Products" - saving of ₹5053.94 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1506935.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024); and

(घा) "राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट – राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹37126.55 लाख की बचत (₹840466.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुई।

(D) "Rebate on State and Central Taxes and Levies - Issue of Scrips under Rebate on State and Central Taxes and Levies" - saving of ₹37126.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹840466.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें इस योजनाओं के अंतर्गत स्क्रोलिंग रोकने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to stoppage of scrolling under the schemes.

(डा) "भारत से वस्तु निर्यात व्यापार योजना के अंतर्गत छूट (एम. ई. आई. एस.) – भारत से वस्तु निर्यात व्यापार योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹87560.02 लाख की बचत (₹99915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में निर्यात कर्ता की

(E) "Rebate under Merchandise Export from India Scheme (MEIS) - Issue of Scrips under Merchandise Export from India Scheme" - saving of ₹87560.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99915.00 lakhs) was due to inability of exporters to

असमर्थता / दावा प्रक्रिया के बारे में जागरुकता का अभाव होने और न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यविधि लंबित रहने के कारण दावों को अंतिम रूप नहीं दे पाने के कारण हुई।

provide Bank Realisation Certificates/lack of awareness regarding claim procedure and pending judicial or quasi-judicial proceedings leading to non-finalization of claims.

(चा) "भारत से सेवा निर्यात योजना (एस. ई. आई. एस.) के अंतर्गत छूट – भारत से निर्यात सेवा योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹13751.73 लाख की बचत (₹139045.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बडी संख्या में एस. ई. आई. एस. आवेदन न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यविधियों के विभिन्न स्तरों पर फसे होने के कारण हुई।

(F) "Rebate under Service Exports from India Scheme (SEIS) - Issue of Scrips under Service Exports from India Scheme" - saving of ₹13751.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹139045.00 lakhs) was due to a number of SEIS applications being stuck at different stages of judicial/quasi-judicial proceedings.

(छा) "लक्ष्य प्लस योजना के अंतर्गत छूट / प्रोत्साहन लक्ष्य प्लस योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹78887.47 की बचत (₹82614.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय समिति, जो किए गए प्रत्येक दावों पर मैंनुअल तौर पर कार्रवाई करती है, से अनुमोदन अपेक्षित होने के कारण हुई।

(G) "Rebate/Incentive under Target Plus Scheme - Issue of Scrips under Target plus Scheme" - saving of ₹78887.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹82614.00 lakhs) was due to requirement of approval by Zonal Committee which manually assesses each claim made.

(जा) "अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट" –

(H) "Rebate under Other Schemes" -

(क) "फ़ोकस उत्पाद योजना और बाजार सह फ़ोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹28239.18 लाख की बचत (₹30170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिसूचित फ़ोकस बाजारों में निर्यात की गई वस्तुओं के उतरने के साक्ष्य में दस्तावेज, जो कि इस योजना की रुपरेखा के अंतर्गत अनिवार्य दस्तावेज है, नहीं होने के कारण हुई।

(a) "Issue of Scrips under Focus Product Scheme and Market Linked Focus Product Scheme" - saving of ₹28239.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30170.00 lakhs) was due to non-finalization of claims due to lack of documents evidencing landing of exported goods in the notified focus markets, which is a mandatory document under the scheme's design.

(ख) "फ़ोकस बाजार योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹7909.82 लाख की बचत (₹8989.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Issue of Scrips under Focus Market Scheme" - saving of ₹7909.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8989.00 lakhs);

(ग) "विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹7229.21 लाख की बचत (₹7251.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Issue of Scrips under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojna" - saving of ₹7229.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7251.00 lakhs);

(घ) "स्टेटस धारी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹11845.15 लाख की बचत (₹13268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "वार्षिक वर्धित निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹9207.36 लाख की बचत (₹11992.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें दावों की मैंनुअल तौर पर जांच करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं होने और फ़र्मों के नकारात्मक प्रविष्टि सूची में दर्ज होने के कारण स्क्रिप जारी नहीं होने से हुईं।

(च) "राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट की बकाया राशि" – ₹7210.30 लाख की बचत (₹9108.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा शुल्क द्वारा शिपिंग बिल और ड्रा बैक के ब्यौरे नहीं प्रेषित करने/योजना कोड को बदलने का अनुरोध लंबित रहने, तकनीकी कमियों के कारण अपेक्षाकृत कम दावे जारी होने, दावा कार्यविधि के बारे में जानकारी नहीं होने और आवेदन न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यविधि में फ़ंसे होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2042" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "निदेशन और प्रशासन – प्रणालियां और डाटा प्रबंधन" – ₹946.15 लाख की बचत (₹10347.78 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "शुल्कों का संग्रह" –

(क) "कमिशनरियां" – ₹1745.74 लाख की बचत (₹520327.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "सी. बी. आई. सी. के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के वेतन और लेखा कार्यालय (केंद्रीय

(d) "Issue of Scrips under Status Holders Incentive Scheme" - saving of ₹11845.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13268.00 lakhs); and

(e) "Issue of Scrips under Annual Incremental Export Incentivization Scheme" - saving of ₹9207.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11992.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-receipt of documentary proofs required for manual scrutiny of claims and non-issuance of scrips owing to the firms being in Denied Entry List.

(f) "Arrears of Rebate on State and Central Taxes and Levies" - saving of ₹7210.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9108.00 lakhs) was due to non-transmission of shipping bills and drawback details by customs/pending request for change of scheme code, lesser claims issued due to technical glitch, lack of awareness regarding claim procedure and applications being stuck in judicial and quasi-judicial proceedings.

(III) Under Major Head "2042" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Systems & Data Management" - saving of ₹946.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10347.78 lakhs);

(B) "Collection Charges" -

(a) "Commissionerates" - saving of ₹17425.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹520327.10 lakhs);

(b) "Pay & Accounts Offices (Central Goods & Service Tax) of Pr. Chief Controller of

माल और सेवा कर)" – ₹1031.58 लाख की बचत (₹8107.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "अन्य व्यय – अन्य मदें" – ₹752.59 लाख की बचत (₹2808.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2216" – "अन्य आवासन – रखरखाव और मरम्मत – रखरखाव संबंधी अन्य व्यय" – ₹780.22 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹658.74 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थी और स्वीकृत प्रावधान का क्रमशः 19 और 22 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(I) मुख्य शीर्ष "2037" – "निवारक और अन्य कार्य – सामुद्रिक सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन" – ₹1852.12 लाख का अधिक व्यय (₹157876.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भत्तों, किराये की बकाया राशि, किराये में संशोधन होने, ईंधनों और लुब्रिकेंटों, वाहनों के किराये पर लेने, दीपावली बोनस, मरम्मत और रखरखाव, आसूचना एकत्रण, की गई यात्राओं और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के करण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2042" – "निदेशन और प्रशासन" –

(का) "राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एन. ए. सी. आई. एन.)" – ₹588.79

Accounts, CBIC" - saving of ₹1031.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8107.90 lakhs);

(C) "Other Expenditure - Other items" - saving of ₹752.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2808.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2216" - "Other Housing - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹780.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-approval of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under two heads savings of ₹658.74 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 19 percent and 22 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2037" - "Preventive and Other functions - Sea Customs-Major Ports" - saving of ₹1852.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹157876.35 lakhs) was due to requirement of additional funds towards allowances, arrears of rent, rent revisions, fuel and lubricants, hiring of vehicles, Diwali bonus, repair and maintenance, intelligence gathering, tours undertaken and other establishment related expenses.

(II) Major Head "2042" - "Direction and Administration" -

(A) "National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)" - excess of ₹588.79

लाख का अधिक व्यय (₹11533.21 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन. ए. सी. आई. एन. के उद्घाटन कार्यक्रम, पोलासमुद्रम, अतिथि फ़ैकल्टी को मनदेय, ई–कार्यालय के कार्यान्वयन, भत्तों, लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावों को निपटाने, नव–निर्मित कार्यालय परिसरों के प्रारंभिक व्ययों, किराये की बकाया राशि के भुगतान, सूचना प्रदाताओं को पुरस्कार और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹11533.21 lakhs) was due to requirement of additional funds towards inauguration function of NACIN, Palasamudram, honorarium of guest faculty, implementation of e-office, allowances, clearance of pending transfer TA bills, initial expenses of newly built office premises, payment of arrears of rent, rewards to informers and other establishment related expenses.

(खा) "आयकरदाता सेवा महानिदेशालय" – ₹1237.36 लाख का अधिक व्यय (₹4002.51 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "मेरा बिल मेरा अधिकार योजना" शुरू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Directorate General of Tax Payer Services" - excess of ₹1237.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4002.51 lakhs) - was due to requirement of additional funds towards rolling out "Mera Bill Mera Adhikar" scheme.

(गा) "माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय" – ₹5964.41 लाख का अधिक व्यय (₹21343.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित पुरस्कार संबंधी मामलों को निपटाने, किराये की बकाया राशि का भुगतान करने और स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) "Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence" - excess of ₹5964.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21343.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of pending reward cases, arrears of rent and other establishment related expenses.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹63035.53 लाख) दिसम्बर 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹268.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹63035.53 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹268.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 29 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Savings/excess occurred under the following heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	85500.00			
पू.	S.	267.00	84590.22	80542.20	-4048.02
पु.	R.	-1176.78			
मुख्य शीर्ष "4059" सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	95000.00			
पू.	S.	1.00	58602.00	52531.27	-6070.73
पु.	R.	-36399.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	40000.00			
			24788.00	24659.00	-129.00
पु.	R.	-15212.00			

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹2505.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के प्राप्त किए गए सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹2501.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – भूमि का अधिग्रहण – सीमा शुल्क और सी. जी. एस. टी. कमिश्नरी के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण" – भूमि की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण रहा।

(I) Provision of ₹2505.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under four heads; of these ₹2501.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4059" - "Office Buildings - Acquisition of Land - Acquisition of Land for construction of Office Building for Customs & CGST Commissionerate" - due to non-finalisation of proposals for procurement of land.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क" के अंतर्गत –

(II) Under Major Head "4047" - "Customs" -

(का) "निवारक और अन्य कार्य" – ₹14955.21 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोबाइल एक्स–रे कंटेनर स्कैनर की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, रेल स्कैनर प्रणाली और फुल बाडी ह्यूमन स्कैनर प्रणाली के माध्यम से ड्राइव के कारण हुई।

(A) "Preventive & other functions" - saving of ₹14955.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposal for procurement of Mobile X-ray Container Scanner, Drive through rail scanner system and full body human scanner system.

(खा) "सीमा शुल्क कार्यालय" – ₹1865.18 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विक्रेता द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Customs Offices" - saving of ₹1865.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement owing to non-submission of Bank Guarantee by the vendor.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – सीमा शुल्क और सी. जी. एस. टी. कमिशनरियों के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण" – ₹39967.73 लाख की बचत (₹92499.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Construction of Office Building for Customs & CGST Commissionerate" - saving of ₹39967.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹92499.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – सीमा शुल्क और जी. एस. टी. कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – सीमा शुल्क और सी. जी. एस. टी. कमिशनरी के लिए आवासीय भवनों का निर्माण" – ₹15338.00 लाख की बचत (₹39997.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and GST Employees - Construction of Residential Buildings for Customs & CGST Commissionerate" - saving of ₹15338.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39997.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वडाला कार्यालय सह आवासीय परिसर और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स (एन. ए. सी. आई. एन.) का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-completion of work at Wadala office-cum-residential project and National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN), Palasamudram.

4. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹13609.12 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "4047" – "केंद्रीय माल और सेवा कर सी. जी. एस. टी. कार्यालय" के अंतर्गत – ₹267.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹11595.59 लाख था।

4. The above savings were partly (₹13609.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹267.00 lakhs under Major Head "4047" - "Central Goods and Services Tax - CGST Offices". Actual excess, however, was ₹11595.59 lakhs.